महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 114वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 114वीं बैठक दिनांक 17 मार्च, 2026 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलगुरू महोदय	अध्यक्ष
2.	डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी (कुलगुरू द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3.	प्रो. ऋतु माथुर (कुलगुरू द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4.	प्रो. गुलाब सिंह चौहान (कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
5.	डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
6.	श्री शत्रुघ्न जी गौतम, माननीय विधायक (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
7.	श्री शक्ति सिंह राठौड़ संभागीय आयुक्त, अजमेर । (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	डॉ. मुकेश कुमार शर्मा, **(ऑनलाईन)** (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेः-</u>

श्री अजय सिंह जी, माननीय विधायक (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित), प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का कुलगुरू महोदय ने स्वागत किया । कुलगुरू महोदय के द्वारा उनके कार्यकाल में किये गये कार्यो एवं भावी योजनाओं से सदन को अवगत कराया तदुपरान्त कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित कियाः-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 01	प्रबन्ध बोर्ड की 112वीं बैठक दिनांक 09.10.2025 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 113वीं बैठक दिनांक 24.12.2025 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्तों की एक प्रति सभी सम्मानीय सदस्यों को इस कार्यालय के क्रमशः पत्र क्रमांक एफ 13 ( )शैक्ष-I/मदसविवि/2025/30441-451 दिनांक 10.10.2025 एवं पत्र क्रमांक एफ 13 ( )शैक्ष-I/मदसविवि/ 2025/40018-40028 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 02	प्रबन्ध बोर्ड की 112वीं बैठक दिनांक 09.10.2025 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 113वीं बैठक दिनांक 24.12.2025 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1 एवं 2)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 112वीं बैठक दिनांक 09.10.2025 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 113वीं बैठक दिनांक 24.12.2025 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं. 03	विद्या परिषद् की 81वीं बैठक दिनांक 27.01.2026 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 04	**कुलगुरू महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** **(1) प्रतिवेदन है कि** राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान राजकीय कर्मचारियों हेतु समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किये जाने के	लेखा एवं वित्त

फलस्वरूप विश्वविद्यालय के महंगाई भत्ते नियमों के नियम 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय Ordinance Governing Services Conditions etc of University Teachers & Employees के Dearness Allowance Rules अध्याय के नियम 5 (1) एवं (2) के तहत कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त स्वीकृति से जारी निम्नांकित कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-4)

क्र. सं.	राज्य सरकार का आदेश क्रमांक व दिनांक	म.द.स. विश्वविद्यालय का कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/ माह जिससे संशोधित दर प्रवृत्त हुई	संशोधित दर
1	No.F.6(1)FD (Rules)/2008 Dated 13-10-2025	No.F.6( ) A&F/MDSU /2025/419 Dated 24-11-2025	01.07.25	महंगाई भत्ता 252% to 257% (6th pay)

निर्णय — पुष्टि की गयी ।

(2) प्रतिवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु समय-समय पर महंगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पेंशन नियम, 1990 के विनियम 29 (बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु प्रवृत्त किये जाने के संबंध में कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत स्वीकृत निम्नांकित कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-5) — **लेखा एवं वित्त**

क्र. सं.	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	म.द.स. विश्वविद्यालय का कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/ माह जिससे संशोधित दर प्रवृत्त हुई	संशोधित दर
1	No.12(3)FD (Rules) / 2013 dated 13.10.2025	No.F6( )A&F/ MDSU/2025/ 36416 dated 02-12-2025	01.07.2025	महंगाई भत्ता 252%से 257% (6th pay)

निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(3) **प्रतिवेदन है कि** विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14 (2) के अंतर्गत सामान्य प्रावधायी निधि पर ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए इस प्रयोजनार्थ कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के अंतर्गत समिति के गठन हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )विवले/मदसविवि/2025/31445 दिनांक 06.11.2025 जारी किया गया । उक्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)**	वित्त एवं लेखा
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(4) **प्रतिवेदन है कि** विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14 (2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य प्रावधायी निधि पर ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )विवले/मदसविवि/2025/31445 दिनांक 06.11.2025 के तहत समिति की दिनांक 05.02.2026 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-7)**	वित्त एवं लेखा
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त को स्वीकार किया गया ।	
मद सं 05	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलगुरू महोदय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर कार्मिकों के आचरण एवं अनुशासन नियम A-CODE OF CONDUCT 14.Certain acts constituting misconduct शीर्षक के नीचे निम्नांकित प्रावधान क्रमांक (viii) समाविष्ट किये जाने की अधिसूचना क्रमांक एफ 15 आरटीआई/शोध/मदसविवि/2015/1097-आर/15741 दिनांक 07.05.2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-8)** प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि के अध्यधीन जारी की गई थी:- (viii) Indiscriminate and impractical demands by an employee as defined in Rule 7 read with rule (15) of the M.D.S. UNIVERSITY OF AJMER CONDITIONS OF SERVICE ETC. OF EMPLOYEES (which includes Teachers as well as other members of staff and officers) for	संस्थापन

	disclosure of all and sundry information (unrelated to one's legitimate genuine interest, public interest, transparency, accountability in the functioning of the employees and eradication of corruption) having a tendency to adversely affect the efficiency of the administration and which may result in the departments and sections of the University getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information under the provisions of RTI Act, 2005.* * Inserted in view of Hon'ble Supreme Court's D.B. judgment dated 9/8/2011 in civil Appeal No. 6454 of 2011: Central Board of Secondary education and Anr Vs. Aditya Bandhopadhyaya & Ors. उक्त अधिसूचना क्रमांक एफ 15 आरटीआई/ शोध/मदसविवि/ 2015/1097-आर/15741 दिनांक 07.05.2015 को प्रबन्ध बोर्ड की 86वीं बैठक दिनांक 09.06.2015 में मद संख्या 3 (19) पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कर दिया गया। प्रबन्ध बोर्ड की 98वीं बैठक दिनांक 28.12.2020 के मद संख्या 02 (03) पर उक्त अधिसूचना पर पुनः विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि क्रमांक एफ 15 आरटीआई/शोध/ मदसविवि/ 2015/1097-आर/15741 दिनांक 07.05.2015 के द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्मिकों के आचरण एवं अनुशासन नियम A-CODE OF CONDUCT 14.Certain acts constituting misconduct शीर्षक के नीचे जोड़े गये प्रावधान क्रमांक (viii) को समाप्त कर दिया गया। प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/2021/2552-2610 दिनांक 11.02.2021 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-9)** विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/ मदसविवि/2021/2552-2610 दिनांक 11.02.2021 जारी करने के उपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऐसी अवांछित सूचनाएं जिससे लोकहित नहीं हो रहा हो, के मांगे जाने की संख्या बढ़ गयी है। जिससे कार्यालय के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2021/2552-2610 दिनांक 11.02.2021 को निरस्त कर पुनः महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर आचरण एवं अनुशासन नियम A-CODE OF CONDUCT 14. Certain acts constituting misconduct शीर्षक के नीचे निम्नांकित प्रावधान क्रमांक (viii) को	

	समाविष्ट किया जाना है:- (viii) Indiscriminate and impractical demands by an employee as defined in Rule 7 read with sub rule (15) of the M.D.S. UNIVERSITY OF AJMER CONDITIONS OF SERVICE ETC. OF EMPLOYEES (which includes Teachers as well as other members of staff and officers) for disclosure of all and sundry information (unrelated to one's legitimate genuine interest, public interest, transparency, accountability in the functioning of the employees and eradication of corruption) having a tendency to adversely affect the efficiency of the administration and which may result in the departments and sections of the University getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information under the provisions of RTI Act, 2005.* * **Inserted in view of Hon'ble Supreme Court's D.B. judgment dated 9/8/2011 in civil Appeal No. 6454 of 2011: Central Board of Secondary education and Anr Vs. Adity Bandhopadhyaya & Ors.** प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर कुलगुरू महोदय को अपने स्तर पर आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया ।	
मद सं 06	विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अन्य संस्थाओं में नियुक्ति/शोध छात्रवृत्ति एंव शोध अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन-पत्र अग्रेषित करने के नियम निर्धारित करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की 63वीं बैठक दिनांक 11.06.2008 में मद संख्या 05 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त मद पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में कार्यालय-आदेश क्रमांक 1 ( ) Estt/ MDSU/ 2007/44024 Dated 09-09-08 (कार्यसूची का परिशिष्ट-10) जारी किया गया । विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अन्य संस्थाओं में नियुक्ति/शोध छात्रवृत्ति एंव शोध अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन-पत्र	संस्थापन

अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किये जाने पर नियम संख्या (6) (a) एवं (6) (b) के तहत उक्त आवेदन-पत्र को अग्रेषित किया जाता है संबंधित शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी काअन्य संस्थाओं में चयन होने की स्थिति में विश्वविद्यालय से नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें सेवा मुक्त/रिलीव किया जाता है । ऐसी स्थिति में नियमानुसार संबंधित शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी से तीन माह का नोटिस लिये जाने अथवा तीन माह के वेतन के बराबर राशि जमा कराये जाने का प्रावधान है । प्रबन्ध बोर्ड की 63वीं बैठक दिनांक 11.06.2008 के निर्णय की अनुपालना में कार्यालय-आदेश क्रमांक 1 ( ) Estt/ MDSU/ 2007/ 44024 Dated 09-09-08 के बिन्दु संख्या (6)(b) में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:-

कार्यालय-आदेश क्रमांक **F1 ( ) Estt/ MDSU/ 2007/ 44024 Dated 09-09-08** के बिन्दु संख्या (6) (b) में अंकित एवं प्रवृत्त एवं मान्य प्रावधान	कार्यालय-आदेश क्रमांक **F 1 ( ) Estt/ MDSU/ 2007/ 44024 Dated 09-09-08** के बिन्दु संख्या **(6) (b)** में <u>प्रस्तावित संशोधन</u>
(1)	(2)
<u>(6) (b):-</u> In all other cases, the applications of the confirmed employees may be forwarded to the addresses by the University subject to the express condition that in the event of the selection of the person concerned on the post applied for, he may be required to give a notice of three months before being relieved from this university failing which he may be required to deposit notice pay for three months or for the period of notice failing short of three months. This condition will be relaxable at the discretion of the Vice-Chancellor. **Note:- The Vice-Chancellor shall have the power to relax the condition of notice in sepcial cases.**	**<u>(6) (b):-</u> An Employee of the University who applies for a post through the proper channel and is duly selected shall be exempt from the requirement of payment equivalent to three months salary and shall be relieved immediately as desired by him/her without financial liability on this count.**

उक्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं 07	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम, 1987 में समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा संशोधन किया जाता रहा है । अधिनियम में संशोधनों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19, जो कि कुलगुरू महोदय की नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है, मे तथा अधिनियम के परिनियम (Statutes) की धारा 01 के हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन में निम्नानुसार अंतर हो गया है:-	शैक्षणिक-I

बिन्दु	अधिनियम (Act) की धारा 19 में अंकित प्रावधान	अधिनियम के परिनियम 1 (Statutes) में अंकित प्रावधान	अधिनियम के परिनियम में प्रस्तावित संशोधन
1	2	3	4
		हिन्दी वर्जन	
कुलपति	19 (3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और (घ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,	1. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित तीन सदस्यों की एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा :- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उसके किसी भी महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो; (ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद्; और	1. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उसके किसी भी महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो; (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और (घ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

			(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति।	
	कुलपति	19 (7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसकों वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सतर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।	1 (3) कुलपति की पदावधि उस तारीख से तीन वर्ष की होगी जिसको वह अपना पद ग्रहण करता हैं या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, जो भी पहले हो जाये : परन्तु कुलाधिपति, कुलपति से जिसकी कि अवधि समाप्त हो रही है, एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगें जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये : परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए कुलपति के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा।	1 (3) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसकों वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सतर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।
	अंग्रेजी वर्जन			
	Vice-Chancellor	19 (3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government	1. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by	1. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State

			from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Commiittee consisting of- (a) One person nominated by the Board; (b) One person nominated by the Chairman, University Grant Commission; (c) One person nominated by the Chancellor; and (d) One person nominated by the Government.	the Chancellor on the advice of the Government upon the recommendation of a Selection Committee consisting of three members as under :- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof; (b) one educationist nominated by the Chancellor; and (c) one person nominated by the University Grants Commission .	Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Commiittee consisting of- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof; (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission. (c) one person nominated by the Chancellor; and (d) One person nominated by the Government.	
		Vice-Chancellor	<u>19 (7)</u> The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years,	<u>1 (3)</u> The term of office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five	<u>1 (3)</u> The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier: Provided that the	

		whichever is earlier: Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.	years, whichever is earlier : Provided that the Chancellor may require the Vice-Chancellor whose term is expiring to continue in office for such period, not exceeding one year, as may be specified by the Chancellor : Provided further that a person shall be eligible for appointment as the Vice-Chancellor for the second term.	same person shall be eligible for reappointment for a second term.

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 21(3), (4) एवं (5) के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियमों में परिवर्तन करने हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:-

(3) बोर्ड को इस अधिनियम की अनुसूची में अन्तर्विष्ट किसी भी परिनियम को संशोधित करने, जोडने या हटाने की शक्ति होगी;

परन्तु किसी भी प्राधिकरण के गठन, प्रास्थिति या शक्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी परिनियम को, ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में अभ्यावेदन करने का कोई समुचित अवसर दिये बिना संशोधित नहीं करेगा, न उसे परिवर्तित करेगा, न हटायेगा।

(4) परिनियमों में का कोई भी संशोधन, चाहे वह परिनियमों में कुछ जोड़कर किया जाये या उनमें से कुछ हटाकर या किसी भी अन्य रीति से, तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति राज्य सरकार

	से परामर्श करने के पश्चात् उसे अनुमति न दे दें। कुलाधिपति उक्त परामर्श करने के पश्चात् और इस बात का समाधान हो जाने पर कि अनुमति नहीं दी जानी है अपनी अनुमति रोक सकेंगें या संशोधन के प्रस्ताव को स्वयं के द्वारा की गयी समुक्तियों, यदि कोई हो, के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार के लिए बोर्ड को लौटा सकेंगे। (5) . उपधारा (3) या उपधारा (4) में किसी बात के होने पर भी कुलाधिपति को राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, नियत दिन के एक वर्ष के भीतर अनुसूची में अन्तर्विष्ट परिनियमों को, चाहे परिनियमों में कुछ जोड़कर या उनमें से कुछ हटाकर या किसी भी अन्य रीति से, संशोधित करने की शक्ति होगी। अतः विश्वविद्यालय अधिनियम के हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन की धारा 19 (3) एवं (7) में अंकित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय परिनियम (Statutes) के हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन-1 (1) एवं (3) में प्रस्तावित संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है	
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय परिनियम (Statutes) में प्रस्तावित संशोधन को माननीय कुलाधिपति महोदय को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 08	वित्त समिति की 46वीं बैठक दिनांक 28.01.2026 का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । उल्लेखनीय है कि वित्त समिति की उपरोक्त बैठक के मद संख्या 05 वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित प्रावधान में से वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत कुलगुरू महोदय द्वारा दिनांक 12.02.2026 को अनुमोदित किया गया जिसके अनुसरण में जारी आदेश क्रमांक एफ 06 (57) विवले-I/मदसविवि/2026/6193 दिनांक 17.02.2026 प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-11)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर वित्त समिति की 46वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित प्रावधानों के अनुमोदन हेतु कुलगुरू महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त आदेश दिनांक 12.02.2026 की पुष्टि की गयी ।**	

मद सं 09	भवन निर्माण समिति की 53वीं बैठक दिनांक 03 फरवरी, 2025 एवं 54वीं बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-12 एवं 13)**	अभियन्ता कार्यालय
निर्णय	**भवन निर्माण समिति की 53वीं बैठक दिनांक 03 फरवरी, 2025 एवं 54वीं बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं 10	विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थी प्रवेश में अभिवृद्धि, गुणवत्तापूर्ण शोध, नवाचार, स्टार्टअप इत्यादि के प्रोत्साहन हेतु क्रमशः शुल्क मुक्ति, शुल्क में छूट, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति (Scholarships) एवं शोधवृत्ति (Fellowship) दिए जाने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर समेकित प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन करने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं 11	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ2-10/2023/(AC Policy) दिनांक 09 सितम्बर 2024 के द्वारा अपेक्स कॉलेज, नूरपुरा बाईपास रोड़, मकराना जिला नागौर (राज.) 341505 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2028-29 तक 05 वर्ष के लिए स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अधिनियम 31 (स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदत्त किया जाना) के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार कुलगुरू महोदय के आदेश एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 28476 दिनांक 25.09.2025 से नियुक्त निरीक्षण समिति से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट पर विद्या परिषद् की 81वीं बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2026 में मद संख्या 06 पर लिए गए निर्णय एवं कुलगुरू महोदय द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति के अनुमोदन हेतु अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14)**	शैक्षणिक-II
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा भविष्य में स्वायत्तता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले महाविद्यालय से राशि रूपये 50.00 लाख, स्थाई स्वायत्तता शुल्क के रूप में लिये जाने का निर्णय लिया गया ।**	

मद सं 12	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों के सुप्रबन्धन की आवश्यकता है । इस हेतु विश्वविद्यालय में LMS/UMS क्रय किया जाना है । इसमें अनुमानित व्यय राशि रूपये 15.00 करोड़ आने की संभावना है । अतः उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड की समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	Analyst-cum-Programmer
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय में Learning Management System/University Management System को लागू करने के क्रम में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) तैयार करने हेतु संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अजमेर (DoIt&C) एवं विभागाध्यक्ष, इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन करने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं 13	विश्वविद्यालय में वर्तमान में गणित विषय स्ववित्त पोषित कोर्स के रूप में संचालित है । यह कोर्स विद्यार्थियों को गहन गणितीय अवधारणाओं की समझ प्रदान करता है । विश्वविद्यालय में गणित विषय के शिक्षक का पद भी रिक्त है, जिस पर भर्ती प्रक्रियाधीन है । अतः विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित कोर्स के रूप में चल रहे गणित विषय को नियमित कोर्स के रूप में संचालित किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित कोर्स के रूप में चल रहे गणित विषय को नियमित कोर्स के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 14	विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित परीक्षात्मक/गोपनीय कार्यो से अधिकांशतः गोपनीय प्रथम एवं द्वितीय में कार्यरत कर्मचारी को ही निरन्तर टूर (यात्रा) पर लगाया जाता है, जिससे गोपनीय-प्रथम एवं द्वितीय का कार्य प्रभावित होता है । अतः पूर्वानुसार विश्वविद्यालय के अन्य विभागों/अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी टूर पर भेजा जाना उचित होगा व साथ-साथ स्टॉफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत कार्मिक जो कि पूर्व में इसी विश्वविद्यालय के कार्मिक जिन्हें कार्यानुभव भी है व अब वर्तमान में विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत है, को भी परीक्षात्मक/गोपनीय कार्य से टूर पर भेजा जाना उचित होगा । संविदा पर कार्यरत कार्मिकों व वाहन चालक (गार्ड) को नियमित	परीक्षा नियंत्रक

	कार्मिकों की भांति नियमानुसार यात्रा भत्ता/अन्य परिलाभ दिया जाना उचित होगा । अतः उक्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त मद को अस्वीकार किया गया ।**	
मद सं 15	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के पूल अनुभाग में चार वाहन उपलब्ध है जिसमें एक वाहन कुलसचिव एवं एक वाहन वित्त नियंत्रक के उपयोग में लिया जा रहा है । उक्त दोनों वाहन अपनी निर्धारित प्रति किलोमीटर की अवधि से अधिक चल चुके है । इस कारण यह वाहन बार-बार खराब हो जाते है व माईलेज की समस्या भी बनी रहती है, जिससे विश्वविद्यालय का समय खराब होता है व व्यय भार भी बढ़ रहा है । एक अन्य वाहन को नकारा घोषित किये जाने की कार्यवाही चल रही है । जबकि एक वाहन कुलगुरू महोदय के उपयोग में लिया जा रहा है यह (ईनोवा) क्रिस्टा पूर्व कुलगुरूओं के कार्यकाल के दौरान दो बार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इनमें अलाईमेंट एवं माईलेज की समस्या बनी रहती है । अतः एक नवीन वाहन (ईनोवा) क्रिस्टा क्रय करने बाबत् प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर एक नवीन वाहन ईनोवा (क्रिस्टा) क्रय करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 16	विश्वविद्यालय की निधियों को बैंक में जमा एवं निवेश (Deposits and Investment) से संबंधित दिशा निर्देशों के क्रम में राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1 (42) आरबी/2018/5564 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के तहत उक्त के संबंध में प्रदत्त पूर्व सभी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित किए जाने वाले निर्देशों की पालना किए जाने संबंधी निर्देशों को राज्य सरकार वित्त (मार्गोपाय) विभाग से जारी निर्देशों में वर्णित उपबन्ध के अनुसार अनुमत बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा, अर्जित होने वाले ब्याज तथा बैंक के साथ कार्य सुगमता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव प्रवृत्त मान्य करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)**	वित्त एवं लेखा

निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1 (42) आरबी/2018/5564 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 में विश्वविद्यालय की निधियों के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 17	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.9(7)शिक्षा-4/2024-00040-6569678 में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के रोस्टर रजिस्टर के संबंध में राज्य स्तरीय समिति द्वारा निम्न सूचना चाही गई है:- **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)** 1. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक पदों हेतु प्रस्तुत किये गये रोस्टर रजिस्टर के संधारण में पदों को वर्णानुक्रम विषयवार (Subjects in Alphabetical order) उल्लेखित नहीं किया गया है। 2. सेवानिवृत्त कार्मिकों के नाम हटाकर पुनः संशोधित रोस्टर रजिस्टर संधारित कर विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर पुनः प्रस्तुत करें। बिन्दु संख्या 01 के संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक पदों हेतु तैयार रोस्टर रजिस्टर में प्रथमतः पद रिक्तता की दिनांक के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों को यदि एक ही दिनांक को रिक्तता है तो उसे विषयवार (Alphabetical order) के आधार पर ही दर्शाया गया है जो कि नियमानुसार सही है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-17)** बिन्दु संख्या 02 के संबंध में लेख है कि प्रबंध बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदित रोस्टर में अंकित सेवानिवृत्त कार्मिकों के नाम हटाकर पुनः संशोधित रोस्टर संधारित कर विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर पुनः प्रेषित किया जाना है। प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	संस्थापन
निर्णय	**उक्त मद को स्वीकार किया गया तथा तद्नुसार शैक्षणिक पदों का रोस्टर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 18	विश्वविद्यालय के कुलपति पदनाम को कुलगुरू पदनाम में प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) द्वारा जारी अधिसूचना जयपुर, अप्रेल 15, 2025 एवं राजस्थान राजपत्र, अप्रेल 16, 2025 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-18)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**उक्त मद को स्वीकार किया गया ।**	

मद सं 19	प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक के मद संख्या 10 के संबंध में गठित समिति एवं तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड की 99वीं बैठक के अनुसार पुनर्गठित समिति, जो कि प्रो. अरविन्द पारीक एवं प्रो. सुभाष चन्द्र की शैक्षणिक योग्यता संबंधी शिकायतों के बारे में थी, के द्वारा आज दिनांक तक कोई भी रिपोर्ट अप्राप्त होने के कारण इन शिक्षकों से संबंधी सभी शैक्षिक योग्यता संबंधित मामलों को निस्तारित करते हुए इन शिक्षकों के स्थायीकरण के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	संस्थापन
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर प्रो. सुभाष चन्द्र एवं प्रो.अरविन्द पारीक के आचार्य पद पर स्थायीकरण हेतु क्रमशः जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/ मदसविवि/ 2018/1193 दिनांक 17-01-2019 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2018/1173 दिनांक 17-01-2019 की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं 20	प्रो. अरविन्द पारीक से प्राप्त अभ्यावेदन एवं डॉ. भाऊसाहब बाबनराव घोरपड़े से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2023 के संबंध में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा आदेश क्रमांक 2033 दिनांक 09.04.2024 के द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट जो तत्कालीन कुलगुरू प्रो. कैलाश चन्द सोडाणी द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित है, प्रबन्ध बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	संस्थापन
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं 21	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले सिटिंग चार्ज राशि रूपये 4,000/- को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति बढ़ाकर 5,000/- प्रति सदस्य तथा शिक्षक एवं अधिकारी भर्ती हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों को भी प्रति सदस्य राशि रूपये 5,000/- सिटिंग चार्ज के रूप में दिये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों तथा शिक्षक एवं अधिकारी भर्ती हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों को राशि रूपये 5,000/- प्रति सदस्य (प्रतिदिन) का भुगतान, दिनांक 17.03.2026 से किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	

मद सं 22	<u>उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गये:-</u> 1. श्री शत्रुघ्न जी गौतम, माननीय विधायक के विश्वविद्यालय की बेशकीमती जमीन पर किये हुए अतिक्रमण को हटाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर अतिक्रमण की सूची तैयार कर संभागीय आयुक्त महोदय को 15 दिवस में भिजवाने का निर्णय लिया गया ।	कुलसचिव एवं अभियन्ता कार्यालय

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई ।

कुलगुरू

कुलसचिव